भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151

जिसका उत्तर सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

नाबार्ड निधि से खर्च की गई राशि का समेकित रिकॉर्ड

1151. श्री सुधाकर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की विभिन्न विकास निधियों जैसे ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य विशेष निधियों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष खर्च की गई राशि का कोई समेकित रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान नाबार्ड विकास निधि से स्वीकृत और वास्तव में खर्च की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि अवसंरचना और आजीविका जैसे क्षेत्र का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त निधि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)**:** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) विभिन्न विकास निधियों का प्रशासन/संचालन करता है, जिनमें अन्य के साथ-साथ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ), सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ), वेयरहाउस अवसंरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) शामिल हैं। नाबार्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त निधियों के अंतर्गत वर्ष-वार संवितरण का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख)**:** नाबार्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान नाबार्ड की विभिन्न विकास निधियों से स्वीकृत और संवितरित राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण अनुबंध -II में दिया गया है।

(ग): नाबार्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के क्षेत्र-वार संवितरण का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**क्रियाकलाप**	**संवितरित राशि**
1	सिंचाई	14124.76
2	ग्रामीण सड़कें	14915.97
3	पेयजल	4414.91
4	स्वास्थ्य	1073.53
5	शिक्षा	2741.95
6	कृषि अवसंरचना	4519.57
7	अन्य क्षेत्र	2755.84
कुल		**44546.53**

अन्य विकास निधियों अर्थात् दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ), सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ), वेयरहाउस अवसंरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) का उपयोग सिंचाई, वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया।

अनुबंध - I

"नाबार्ड निधि से खर्च की गई राशि का समेकित रिकॉर्ड" के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

विभिन्न विकास निधियों की शुरुआत से नाबार्ड द्वारा खर्च/जारी की गई राशि का वर्ष-वार व्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि	वेयरहाउस अवसंरचनार निधि	दीर्घकालिक सिंचाई निधि	खाद्य प्रसंस्करण निधि	सूक्ष्म सिंचाई निधि
1	1995-96	387.34	-	-	-	-
2	1996-97	1,087.08	-	-	-	-
3	1997-98	1,009.03	-	-	-	-
4	1998-99	1,313.12	-	-	-	-
5	1999-00	2,277.87	-	-	-	-
6	2000-01	3,176.85	-	-	-	-
7	2001-02	3,790.37	-	-	-	-
8	2002-03	4,103.42	-	-	-	-
9	2003-04	3,922.09	-	-	-	-
10	2004-05	4,316.85	-	-	-	-
11	2005-06	5,953.32	-	-	-	-
12	2006-07	6,222.58	-	-	-	-
13	2007-08*	12,533.64	-	-	-	-
14	2008-09*	17,958.64	-	-	-	-
15	2009-10*	18,887.54	-	-	-	-
16	2010-11	12,060.04	-	-	-	-
17	2011-12	14,180.40	-	-	-	-
18	2012-13	16,292.26	-	-	-	-
19	2013-14	17,354.07	405.39	-	-	-
20	2014-15	19,665.74	643.95	-	-	-
21	2015-16	23,510.19	1,363.97	-	20.57	-
22	2016-17	25,599.66	1,186.03	9,086.02	123.92	-
23	2017-18	24,992.65	1,244.09	11,360.50	111.29	-
24	2018-19	27,623.30	1,092.15	13,802.23	57.08	-
25	2019-20	26,265.51	844.45	10,469.78	43.28	-
26	2020-21	29,193.48	911.63	7,761.20	53.24	1,827.47
27	2021-22	33,883.18	593.61	3,196.97	111.32	256.25
28	2022-23	37,316.75	460.93	3,069.10	141.78	432.30
29	2023-24	42,563.92	367.25	2,605.14	106.31	871.78
30	2024-25	42,713.92	106.35	1,441.09	61.45	251.68
31	2025-26	44,546.53	56.40	1,892.68	-	668.59

*** इसमें भारत निर्माण के तहत 18,500 करोड़ रुपये का संवितरण शामिल है।**

अनुबंध-II

"नाबार्ड निधि से खर्च की गई राशि का समेकित रिकॉर्ड" के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान नाबार्ड के विभिन्न विकास निधियों के अंतर्गत स्वीकृति और संवितरण का ब्यौरा

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य	निवल स्वीकृतियाँ					खर्च/संवितरित राशि				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	2765.89	2578.44	2618.27	1854.54	929.82	1650.52	2000.00	2000.00	700.00	2000.00
2	अरुणाचल प्रदेश	453.84	404.24	483.69	482.27	503.85	295.14	348.70	500.00	500.00	410.46
3	असम	2101.61	2984.67	3228.53	3043.03	2800.25	1393.06	2125.77	2534.04	3048.11	2863.11
4	बिहार	3090.07	2399.83	2496.45	1910.28	1503.01	2400.00	1329.07	1933.76	1944.47	1865.83
5	छत्तीसगढ	1578.22	1784.06	1775.17	1346.83	964.83	1104.27	1212.52	1505.14	942.03	1029.42
6	गोवा	554.40	661.01	553.75	597.20	430.81	500.00	497.20	449.27	582.78	489.98
7	गुजरात	3281.05	3608.14	4096.75	3142.74	3484.63	2254.05	3038.56	3857.51	3374.33	4961.66
8	हरियाणा	1886.76	1945.09	1875.03	1389.49	983.86	1544.03	1271.05	1770.75	1924.76	1951.89
9	हिमाचल प्रदेश	1144.63	912.17	918.81	1011.77	783.22	704.98	839.36	796.49	849.99	849.04
10	जम्मू और कश्मीर	1538.59	1371.27	1453.19	937.26	731.69	533.18	680.00	841.15	822.40	800.77
11	झारखंड	2305.25	2146.21	2763.03	1988.38	1902.48	1594.00	1515.20	2120.45	2267.35	2388.10
12	कर्नाटक	2084.21	1979.34	2302.84	2242.11	1940.48	1563.69	1413.83	1837.73	2457.75	2125.73
13	केरल	662.88	692.95	714.58	762.16	637.27	509.72	571.95	553.95	657.47	733.85
14	मध्य प्रदेश	3045.80	3614.71	3820.54	3568.06	2479.01	3025.26	3299.00	3499.40	3718.50	3298.82
15	महाराष्ट्र	1502.96	1730.40	1452.51	2477.17	3101.82	2403.49	3711.47	3228.96	2477.87	3630.45
16	मणिपुर	202.75	208.00	139.84	61.26	55.78	159.22	200.00	142.08	63.85	12.03
17	मेघालय	254.46	256.20	206.02	169.94	112.39	170.00	200.00	200.00	237.48	221.94
18	मिजोरम	310.94	326.18	255.84	178.91	178.98	150.00	219.99	243.90	274.89	280.03
19	नगालैंड	5.55	22.51	47.21	30.38	50.12	17.55	18.83	35.78	44.63	44.31
20	ओडिशा	4013.40	3549.86	3626.66	3386.66	2678.62	3223.75	3898.59	4106.54	4265.86	3398.11
21	पुदुचेरी	0.00	116.47	71.14	177.37	153.25	24.11	50.25	93.05	100.27	104.21
22	पंजाब	820.24	907.13	922.62	742.14	464.98	780.38	815.83	746.63	800.00	800.00
23	राजस्थान	2543.47	3146.28	2493.39	2712.07	2103.41	2320.64	2433.09	2404.09	2462.25	2388.13
24	सिक्किम	145.00	173.63	117.74	52.65	51.00	68.00	71.00	68.53	60.00	70.00
25	तमिलनाडु	2920.19	3734.61	3335.21	3352.52	3118.42	2704.09	2769.73	3181.73	3947.94	4144.06
26	तेलंगाना	1517.02	1339.71	1449.24	0.00	458.18	1320.91	1304.94	1000.00	668.81	440.85
27	त्रिपुरा	410.39	496.98	1050.67	750.01	544.79	397.16	500.00	550.00	650.00	550.00
28	उत्तर प्रदेश	1901.36	2628.19	3535.78	2557.04	2419.01	2407.78	2359.21	3250.00	2302.73	3000.00
29	उत्तराखंड	525.28	777.72	907.72	826.11	742.55	587.38	616.35	755.47	787.29	754.01
30	पश्चिम बंगाल	2084.09	2115.76	2200.10	1904.42	1426.96	1483.19	2109.36	2308.02	1640.69	1557.40